राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण सख्या : 66/2017

1. गीता बाई पत्नि सुरेश चन्द जाति मीणा निवासी चन्दपुरा तह0 श्योपुर जिला श्योपुर मध्यप्रदेश
2. गीता बाई पत्नि इन्द्रगाज जाति मीणा निवासी महलपुर तहसील मांगरोल

.......वादीगण

♠ बनाम ♠

1. केदार योगी पुत्र श्रीकिशन } जातिनाथ निवासी जडावदिया तह0 मांगरोल जिला बारां
2. बल्फा योगी पुत्र श्रीकिशन }
3. महावीर पुत्र श्रीनाथ } जाति नाथ निवासी महलपुर तह0 मांगरोल जिला बारां
4. ओमप्रकाश पुत्र पृथ्वीनाथ }
5. जगन्नाथ पुत्र रामनारायण जाति ब्राहमण निवासी मांगरोल जिला बारां

....प्रतिवादीगण

## दावा अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0 एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील वादीगण : श्री भंवरसिंह गौड

वकील प्रतिवादीगण : श्री महेन्द्र सिंह गौड

निर्णय दिनांक : 14.05.2018

दायरा दिनांक: 10.07.2017

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण की खाता संख्या 12 नया 30 पुराना ग्राम मोरडी की आराजी खसरा नं0 154/344 रकबा 0.42 है0, खसरा नं0 155 रकबा 0.77 है0, खसरा नं0 166 रकबा 0.17 है0 कुल किता 3 रकबा 1.36 है0 खाते दर्ज है। वादीगण उक्त वर्णित आराजी की एक मात्र तन्हा खातेदार है जो वर्षो से अपनी खाते की आराजी शांती पूर्वक काश्त कर रही है। प्रतिवादीगण 1 ता 5 की आराजी वादीगण की उक्त वर्णित आराजी के आस पास ग्राम मोरडी में स्थित है प्रतिवादीगण आये दिन वादी की आराजी की मेड को तोडने का प्रयास करते रहते है। जिससे वादीगण की आराजी प्रतिवादीगण की आराजी में मिलाने का प्रयास करते रहते है अतः वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा पारित की जावे कि प्रतिवादीगण वादीगण के खाते की आराजी खाता संख्या 12 नया 30 पुराना ग्राम मोरडी की आराजी खसरा नं0 154/344 रकबा 0.42 है0, खसरा नं0

रकबा 0.77 है0, खसरा नं0 166 रकबा 0.17 है0 कुल किता 3 रकबा 1.36 है0 में किसी प्रकार की दखलअंदाजी ना तो स्वयं करें और ना ही अपने प्रतिनिधि से करावें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्राप्त होने पर दिनांक 10.07.2017 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार मांगरोल जो की लैण्ड होल्डर है की रिपोर्ट दिनांक 01.07.2014 जो की शामील फायल है के अनुसार ग्राम मोरडी के खसरा नं0 155 रकबा 0.77 है0, खसरा नं0 154/344 रकबा 0.42 है0, खसरा नं0 166 रकबा 0.17 है0 भूमि का सीमाज्ञान करवाया गया।

हमारे द्वारा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। वादपत्र में संलग्न जमाबंदी सम्वत 2070–73 ग्राम मोरडी व नक्शा ट्रेस के आधार पर वादीगण खाता संख्या 12 नया 30 पुराना ग्राम मोरडी की आराजी खसरा नं0 154/344 रकबा 0.42 है0, खसरा नं0 155 रकबा 0.77 है0, खसरा नं0 166 रकबा 0.17 है0 कुल किता 3 रकबा 1.36 है0 के रेकार्डेड खातेदार है जिस पर कब्जा व काश्त का वादीगण को कानूनी अधिकार प्राप्त है, अतः प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कर आदेशित किया जाता है कि वादीगण की आराजी ग्राम मोरडी के खसरा नं0 154/344 रकबा 0.42 है0, खसरा नं0 155 रकबा 0.77 है0, खसरा नं0 166 रकबा 0.17 है0 कुल किता 3 रकबा 1.36 है0 में दखलअंदाजी ना तो स्वयं करें और ना ही अपने प्रतिनिधि से करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट केम्प महलपुर मजमेंआम में सुनाया गया।